न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/77

बाबूलाल आत्मज मूलचन्द सुवालका जाति कलाल निवासी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

——अपीलांट

बनाम

1. शम्भूदयाल आत्मज नारायण जाति तेली निवासी जैन मन्दिर के पास, कस्बा इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. नाथूलाल आत्मज हीरालाल जाति तेली निवासी वार्ड नं0 1 पोस्ट ऑफिस के पास, कस्बा इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
3. नरेश आत्मज नाथूलाल जाति तेली निवासी वार्ड नं0 1 पोस्ट ऑफिस के पास, कस्बा इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामविलास साहू, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 08.10.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 9/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी कृषि भूमि खाता सं० 62 खसरा स० 219 रकबा 0.08 हैक्टेंयर वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। वास्ते प्रमाण नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाद पत्र के साथ पेंश हैं। प्रार्थना पत्र की चरण स० 2 में वर्णित कृषि भूमि में कुआं बना हैं और शेष रिक्त भूमि हैं जिस पर प्रार्थी शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थी विधिवत अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पत्थर गढी दिनांक 18.05.2022 को करवा कर अपनी भूमि पर शांति

पूर्वक कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को ताकत के बल पर हडप करना चाहतें हैं। दिनांक 26.12.2022 को दिन में करीब 11 बजे प्रार्थी का पुत्र भौतिक कृषि भूमि पर पत्थर गढी करवा रहा था तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर आकर प्रार्थी के पुत्र के साथ मारपीट की जिससे प्रार्थी के पुत्र के चौटे आई हैं बडी मुश्किल से प्रार्थी के पुत्र नें भाग कर अपनी जान बचाई जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना इन्द्रगढ में पेश की थी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी हैं और भविष्य मे प्रार्थना पत्र की चरण स० 2 में वर्णित भूमि को ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी दी हैं यही वाद का कारण है जिसके बाद से निरन्तर उत्पन्न हो रहा हैं अप्रार्थीगण को ऐसा करने व कहने का कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा परेशान करने से ही प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि पर पत्थर गढी करवाई थी, उसके बाद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें हैं। उक्त भूमि आम रास्ता सडक इन्द्रगढ सुमेरगंजमंडी से लगी हैं और आबादी के पास होने से बेशकीमती हैं। प्रार्थी के वाद में समय लगनें की सम्भावना है और कई नये विवाद पेश होने की सम्भावना हैं इसलियें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित हैं, और अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द फरमावें कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टेयर ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित की काश्त व्यवस्था, उपयोंग व उपाभोग में दखल नहीं देवे जबरन ताकत के बल पर काबिज शुदा कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करें ऐसा ना तों स्वयं करे ना ही अपने किसी ऐजेन्ट प्रतिनिधी सें करवायें। अन्य न्यायोंचित सहायता जिसें प्रार्थी प्राप्त करनें की अधिकारी हो प्रदान फरमावें ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये

अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। उक्त दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त दस्तोवजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थी अपीलांट की ओरे से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किए जाने तथा दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तोवज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होते है। उक्त दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तथाकथित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील कानून, न्याय एंव संचिका में प्राप्त सिद्धि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद विषयक अपील विषयक

ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी की खसरा नम्बर 219 की 0.08 हेक्टर भूमि के संबंध में उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिती कायम रखने हेतु पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादी अपीलान्ट वाद विषयक अपील विषयक उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार टीनेन्ट है एवं बहैसियत खातेदार टीनेन्ट काबिज है। प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 लगायत 3 को उपरोक्त भूमि पर कोई हक एव अधिकार नहीं है तथा कब्जा नहीं है। प्रतिवादी रेस्पो० नम्बर 1 लगायत 3 का वादी अपीलान्ट के खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों को वादी अपीलान्ट ने प्रथम दृष्टया प्रमाणित कर दिया था। ऐसी स्थिती में अधीनस्थ न्यायालय को वादी अपीलान्ट के पक्ष में प्रतिवादीगण रेस्पो० नम्बर 1 लगायत 3 के विरूद्ध उपरोक्त भूमि में वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने, काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने के संबंध में ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट को मोके व रिकार्ड की यथास्थिती रखने हेतु पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है। वादी अपीलान्ट ने उपरोक्त भूमि पर उसका कब्जा होने के तथ्य को प्रमाणित कर दिया था ऐसी स्थिती में अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त भूमि पर वादी अपीलान्ट का कब्जा होना मानकर कब्जे की वादी अपीलान्ट के पक्ष में स्पष्ट फाइडिंग देकर प्रतिवादीगण रेस्पो० नं० 1 लगायत 3 के विरूद्ध ताफैसला दावा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने, उपयोग व उपभोग में दखल नहीं करने के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने उसका प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरर्णीय क्षति का बिन्दू उसके पक्ष में होना एवम् कब्जा होना प्रमाणित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादी अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2010(1) आर.आर.टी. पेज 149 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार फरमाया जाकर वादी अपीलान्ट के पक्ष में प्रतिवादीगण रेस्पो० के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किए जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण रेस्पो० नं० 1 ता 4 ताफैसला दावा वादी अपीलान्ट के खाते व कब्जे की ग्राम इन्दगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की खसरा नम्बर 219 की 0.08 हेक्टर भूमि का वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे, काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, उपयोग व उपभोग में दखल नहीं पैदा नहीं करे, उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से एंव कर्मचारियों से करावे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी रेस्पो० नम्बर 1 लगायत 3 का पाबन्द फरमाया जावे। अन्य सहायता जो न्याय संगत हो वादी अपीलान्ट को प्रदान फरमायी जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत न तो सीमाज्ञान हुआ है ना ही वर्तमान में कोई पत्थरगढी हो रही है। जिस खसरा नं. 219 की भूमि व कुये को प्रार्थी अपना बताता है वह फर्जी तरीके से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। उक्त कुआं प्राचीनकाल से ही तैलियों के कुयें के नाम से जाना जाता है तथा उक्त कुयें के समीप ही प्राचीनकालीन तिलकेश्वर महादेव का मन्दिर बना हुआ है जिस पर प्रार्थी नाजायज कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट व समुचा तैली समाज उक्त भूमि पर बने तिलकेश्वर महादेव मन्दिर में पूजा अर्चना के लिए जाते रहे है। दिनांक 26.12.2022 प्रार्थी के पुत्र भोतिक सुवालका ने मौके पर तैली समाज के लोगों के साथ लडाई झगडा किया तथा मन्दिर पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश की जिसको समाज के लोगों ने बड़ी मुश्किल से रोका वरना उक्त प्रार्थी व उसका पुत्र भौतिक सुवालका मन्दिर पर कब्जा कर उसे खुर्द बुर्द कर देता। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को किसी प्रकार की जान से मारने की धमकी नहीं दी है। उक्त भूमि के मालिकाना हक को लेकर एक वाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। उक्त खसरा नं. 219 पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। प्रार्थी मात्र अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त तिलकेश्वर महादेव की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका कि उसे कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपीलांट का केस किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है तथा ना ही उसे अपूरणिय क्षति होने की संभावना है तथा ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त खाता सं. 62 खसरा नं. 219 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गै०मु० चाह वाके इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज० में स्थित कुयें को प्राचीनकाल से ही तैलियों के कुयें के नाम से जाना जाता रहा है। चूंकि इन्द्रगढ कस्बा पूर्व में स्टेट (पूर्ण राज्य) हुआ करता था तथा यहां राजा महाराजा का शासन था उस वक्त सम्पूर्ण कस्बे में स्थित सार्वजनिक कुयें बावडियो आदि पर राजा महाराजा का स्वामित्व था तथा अधिकांश कुयें बावडियां उन्हीं के नाम हुआ करती थी। इसलिए उक्त खसरा नं. 219 पूर्व में विद्योत्मा कुमारी नाबालिग पुत्री भगवतीसिंह संरक्षक वली माता श्रीमती हेमन्त कुमारी पत्नि भगवती सिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि खसरा नं. 219 रकबा 0.08 हैक्टेयर को प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीद करना बताया है जबकि उक्त विक्रय पत्र की अप्रार्थी कम 1 के द्वारा तहसील इन्द्रगढ में नकल चाहने पर ज्ञात हुआ कि 16.9.1996 को प्रार्थी के नाम कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं हुआ है तथा उक्त विक्रय पत्र का तहसील कार्यालय में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है । यदि प्रार्थी अपीलांट के नाम उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुई होती तथा वाकई उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान हेमन्त कुमारी बतौर नाबालिग सरंक्षक विद्योत्मा कुमारी की ओर से किया गया होता तो राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही का सहारा नहीं लेना पड़ता। उक्त फर्जी विकय पत्र के आधार पर जब तत्कालीन हल्का पटवारी इन्द्रगढ़ ने राजस्व रेकार्ड में केता के रूप में प्रार्थी का नाम दर्ज करने से इंकार कर दिया तो प्रार्थी ने उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर एक वाद सं. 236/ दावा/2003 श्रीमान उपखण्ड

अधिकारी महोदय लाखेरी के न्यायालय में पेश किया लेकिन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी ने भी प्रार्थी के वाद को खारिज कर दिया तथा अपने फैसले में लिखा कि तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण क्यों नहीं खोला जा रहा है इस तथ्य को प्रार्थी बाबूलाल सुवालका द्वारा दावे में स्पष्ट नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थी का वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय लाखेरी ने खारिज कर दिया था । जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के यहां की गई की गई जहा से एकतरफा कार्यवाही से प्रार्थी के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलने के आदेश हुये थे जिसके आधार पर तहसीलदार इन्द्रगढ ने नामान्तकरण खोला है तथा उक्त माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसका अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त भूमि पर स्टे लेकर उक्त स्टे आर्डर की आड में जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा अप्रार्थीगण व सम्पूर्ण तैली समाज को पूजा पाठ करने से रोकना चाहता है तथा उक्त तिलकेश्वर मन्दिर को ध्वस्त करना चाहता है तथा शान्ति भंग करना चाहता है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर जमीन अपने नाम करवाने को लेकर माननीय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब इन्द्रगढ के यहां एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई०पी०सी० के तहत दिनांक 24.2.2023 को परिवाद दायर किया था जहां से उक्त परिवाद 156 (3) में जांच हेतु पुलिस थाना इन्द्रगढ में भिजवाया गया है जिसकी एफ०आई०आर० सं. 104/23 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत 2010 आर0आर0टी0 पेज 1421 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी के सम्बंध में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध उपयोग व उपभोग में दखल नहीं देने, जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसकी खरीदशुदा एवं खातेदारी की भूमि है तथा अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी अपीलांट की ओर से रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 16.09.1996 की फोटोप्रति पेश की है। उक्त विकय–पत्र दिनांक 16.09.1996

में ग्राम इन्दग्रढ़ तहसील इन्द्रगढ़ की खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि विद्योत्मा कुमारी नाबालिग पुत्री भगवती सिंह संरक्षक व वली माता हेमन्त कुमारी पत्नी भगवती सिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रगढ़ के द्वारा बाबूलाल सुवालका पुत्र मूलचन्द सुवालका जाति कलाल साकिन इन्द्रगढ़ को विकय किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्दग्रढ़ की प्रश्नगत खसरा संख्या 219 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि बाबूलाल पुत्र मूलचन्द सुवालका जाति कलाल सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है अतः उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा एवं खातेदारी की भूमि होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है। अपीलांट का कथन है वह माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 18.05.2022 को पत्थरगढ़ी करवाने के पश्चात काबिज है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बउनवानर बाबूलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की फोटोप्रति पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 219 में कोई स्थगन नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश अंकित है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत इन्द्रगढ़ की पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.05. 2022 प्रस्तुत की गई है। उक्त पालना रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 में प्रार्थी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 219 के मोके पर पत्थर पर्सी का व्यवसाय करने तथा नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा निर्मित विश्रामगृह का लगभग अर्द्धभाग खसरा संख्या 219 की सीमा में होने का अंकन है। अपीलांट का कथन है कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। साथ ही अपीलांट का यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26.12.2022 को वादग्रस्त आराजी के मोके पर पत्थरगढ़ी करवाए जाने के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा मारपीट की गई जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में पेश की गई है। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी अपीलांट की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना इन्द्रगढ़ को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.12.2022 की फोटोप्रति तथा थानधिकारी इन्द्रगढ़ द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107–116(3) सी.पी.सी. एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा की गई कार्यवाही की आदेशिका की फोटोप्रति पेश की है जिसमें रेस्पोडेन्टगण एवं अन्य गैर सायल को लड़ाई झगड़े नहीं करने बाबत पाबन्द किए जाने का अंकन है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा निर्मित विश्रामगृह तथा तिलकेश्वर महादेव मन्दिर बना हुआ है, शिवालय, समाधि स्थल, कुआं आदि बने हुए है, जानवरो के लिए पानी की खेल बनी हुई है, नगरपालिका द्वारा हैण्डपम्प लगाया हुआ है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कभी कब्जा नहीं होकर तेलीयान समाज का कब्जा है तथा मन्दिर में रोज यात्री दर्शन के लिए आते है तथा मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या 0104 दिनांक 08.06.2023, उपखण्ड अधिकारी लाखेरी को खसरा नम्बर 219 की भूमि में स्थित तिलकेश्वर महादेव मन्दिर में पूजा अर्चना हेतु स्वीकृति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.02.2025, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 80/2024 की आदेशिका, अपील मेमो एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2006, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा की अपील संख्या 192/1957 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.1958, माननीय सिविल न्यायालय कोटा के प्रकरण संख्या 2/1972 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.1975, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 2052/2017 मय आदेशिका, थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ द्वारा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन्द्रगढ़ को पेश इस्तगासा अन्तर्गत धारा 17, 116(3) सी.आर.पी.सी. प्रस्तुत किए है। पत्रावली संलग्न उक्त सभी राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलांट की खरीदशुदा व खातेदारी की भूमि होना प्रकट होता है परन्तु पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के मोके पर नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वार निर्मित विश्रामगृह का भी कुछ भाग होना प्रकट होता है। साथ ही अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के मोके पर मन्दिर, कुआं, पानी की खेल तथा हेण्डपम्प आदि बने होने तथा उनका सार्वजनिक रूप से उपयोग में लिए जाने का कथन किया गया है। वादग्रस्त आराजी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के जिस आदेश दिनांक 25.09.2006 के आधार पर अपीलांट के खाते दर्ज हुई है, उक्त आदेश दिनांक 25.09.2006 के विरूद्ध राठौर तेली समाज सकल पंचायत इन्द्रगढ़ द्वारा जरिये नाथूलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई है जो विचाराधीन है तथा उक्त अपील में पक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण होना शेष है। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में उभयपक्षकारान के मध्य कब्जे एवं उपयोग उपभोग को लेकर पूर्व में भी विवाद एवं लड़ाई झगड़ा होना प्रकट होता है तथा उभयक्षकारान के द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध संबंधित थाने में परिवाद पेश किए गए है जो शामिल पत्रावली है। हस्तगत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। यदि उभयपक्षकारान में से किसी के भी पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की आड़ में बेदखल करने का प्रयास कर सकता है, जिससे वाद बहुलता बढ़ने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में वाद बहुलता को रोकने हेतु उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2025 में मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक उभयक्षकारान को मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत पाबन्द किए जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अपील संख्या 2025/77

बाबूलाल बनाम शम्भूदयाल

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 09/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 यथावत जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा